

सेवा में

**श्री बीभा सिन्हा,**  
 एम०जी०एम०मानगो,  
 ब्लॉक मानगो, पोस्ट—मानगो,  
 जिला—पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

**विषय:-** मौजा—डिमना, प्लॉट नं०—1898, खाता नं०—221, वार्ड नं०—09, थाना नं०—16412, जिला—पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में प्रस्तावित MULTI-STORIED आवासीय भवन हेतु अग्नि—सुरक्षात्मक सलाह।

उपर्युक्त विषयक ऑन—लाईन भेजे गये प्रस्तावित के अनुसार प्रभारी अग्निशमालय पदाधिकारी, मानगो, जमशेदपुर से संबंधित आवासीय भवन के स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक—183 दिनांक—28.10.2019 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं समर्पित प्लान की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत निर्मित आवासीय भवन हेतु निम्नांकित अग्नि—सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :—

1. प्रस्तावित भवन के सामने वाले भाग में कम से कम पचास हजार लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम बीस हजार लीटर क्षमता का ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
3. भवन के ऊपर 450 Lpm क्षमता का एक अदद टेरेस पम्प की व्यवस्था की जाय।
4. 1650 Lpm क्षमता का फायर पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
5. प्रत्येक स्टेयरकेश लॉबी में एक—एक ऐसे वेट राईजर सिस्टम का निर्माण कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 63 mm डाया का डिलिवरी आउटलेट तथा 30 मी० लम्बा होजरील होज का संस्थापन कराया जाय।
6. प्रस्तावित भवन के प्रत्येक तलों पर प्रत्येक डिलिवरी आउटलेट के पास दो—दो लेन्थ डिलिवरी होज एवं एक—एक अदद ब्रांच विथ नोजल सहित एक—एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
7. सतही तल पर मुख्य प्रवेश द्वार के पास थ्रीवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
8. समान क्षमता का एक डीजल चालित फायर पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
9. प्रस्तावित भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
10. प्रस्तावित भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन से ही कराया जाय।
11. भवन में प्रति 400 वर्गमीटर अथवा उसके भाग के लिये कम से कम 06 Kg क्षमता वाले दो—दो अदद डी०सी०पी० अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
12. प्रस्तावित भवन में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वार्ट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो। इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इसकी आवाज पूरे भवन में स्पष्ट रूप से सुनाई दे।
13. मैन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को Fire Suppression System से सुरक्षित किया जाय।
14. बिजली के मैन स्वीच बोर्ड के पास 04.5 के०जी० क्षमता के 02-02 अदद सी०ओ०टू० तथा 06 के०जी० क्षमता के 02-02 अदद डी०सी०पी० अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।

- 15.प्रस्तावित भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
- 16.भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संरक्षणित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे। साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से पूर्व सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट तथा एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सभी सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
- 17.अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात हीं अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा सकेगा।
- 18.प्रस्तावित भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
- 19.राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

**BANDHU  
ORAON**

Digitally signed by BANDHU ORAON  
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND,  
ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT,  
cn=BANDHU ORAON,  
serialNumber=bb8d056fbf786d39b4c8876db873  
4d26ec9cfaf8/ab115ea2c0348e16ab6005,  
postalCode=834002,  
2.5.4.20=1939424e11492aab227f7c7653cba3d3fee  
b7bf517b04a061986ba64a39d09, st=Jharkhand  
Date: 2019.10.31 15:09:30 +05'30'

(श्री बन्धु उराँव)  
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,  
झारखण्ड, राँची।